भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1994
दिनांक 05 अगस्त, 2026 / 14 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के साथ साइबर धोखाधड़ी

1994 श्रीमती सागरिका घोष:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल द्वारा साइबर धोखाधड़ी के शिकार व्यक्तियों में वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं के अनुपात का आकलन किया गया है और इन श्रेणियों के व्यक्तियों को कितनी हानि हुई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं। तदनुसार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र साइबर अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय के माध्यम से, साइबर अपराध प्रबंधन और प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए नीतिगत मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण संबंधी सहायता और वित्तीय संसाधन प्रदान करके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है।

महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है।

वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1994, दिनांक 05.08.2026

प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। एनसीआरपी पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 के दौरान वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित आंकड़े *		महिलाओं से संबंधित आंकड़े *	
शिकायतों की संख्या (वरिष्ठ नागरिक)	वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सूचित की गई राशि (करोड़ रुपये में)	शिकायतों की संख्या (महिलाएं)	महिलाओं द्वारा सूचित की गई राशि (करोड़ रुपये में)
103488	4005.12	463114	3764.51

*आंकड़े परिवर्तनशील है।
